कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,आगरा

पत्रांक:-.....9565.......

दिनांक - 25-10-2018

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की ग्लोरियस पब्लिक स्कूल,गुरु रामदास नगर ककरैठा,आगरा की बेसिक शिक्षा विभाग से प्राईमरी व जूनियर की स्थायी मान्यता प्राप्त है और आज भी वैध है ।

(आनन्द प्रकाश शर्मा)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा

आगरा

Manager
Glorious Public School
Guru Ram Das Nagar
Kakretha, AGRA

161

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

प्रबन्धक

ग्लोरियस पब्लिक स्कूल - गुरुराम
दास नगर ककरैठा आगरा।

पत्रांक-- मान्यता/2497 /2007-08 दिनांक- 3-7-07

विषयः **प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1873/15-6-98 एम0 (7) 89 दिनांक 10 सितम्बर 98 परिप्रेक्ष्य में मान्यता समिति के प्रस्ताव संख्या **2** दिनांक **3-7-07** द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर आपके विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय के रूप में कक्षा 1 से 5 तक की नवीन अस्थायी मान्यता निम्न लिखित प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है।

1. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक मा0 /20813-889/89-90 दिनांक 21 मार्च 1990 के द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में मान्यता पत्र निर्गत तिथि के बाद पढ़ने वाली 1 जुलाई से प्रभावी होगी।
2. अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों जन्हें अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है को पॉच वर्ष में स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तो को इस अवधि में पूरा करना अनिवार्य होगा।
3. अस्थायी मान्यता के दौरान जॉच करने पर यदि किन्हीं शर्तो में कोई त्रुटि/कमी पायी जाती है अथवा नियम/शर्तो का पालन नहीं किया जाता है तो प्रश्नगत विद्यालय की अस्थायी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
4. विभागीय नियमों, निर्देशों का पालन किया जाए तथा राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकें ही पढ़ाई जाए।
5. विभागीय निरीक्षण अधिकारियों को विद्यालय के निरीक्षण, अभिलेखों के परीक्षण में आपेक्षित सहयोग दिया जाएं
6. विभागीय नियमों/आदेशों की अवहेलना करने पर या किन्हीं तथ्यों को छिपाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

भवदीय,

(राजू राणा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा

पृष्ठांकन संख्या--मान्यता प्रा0 /2007-08 तद् दिनांक

प्रतिलिपिः-- सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा

Manager
Glorious Public School
Guru Ram Das Nagar
Kakretha, AGRA

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

सेवा में,

प्रबन्धक- ग्लोरियस पब्लिक स्कूल
गुरुरामदास नगर, ककरैठा
आगरा

पत्रांक लेखा/---- 4006-07 ------ 2008-09 दिनांक:- 20/2/09

विषय- **अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 646/15-06-97-18 एस (7)/89 दिनांकः 13 अगस्त, 1997 द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांकः 20/2/2009 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के पत्रांकः मान्यता/20813-889/89-90 दिनांकः 21 मार्च, 1990 के द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में मान्यता पत्र निर्गत करने की तिथि के बाद पड़ने वाली एक जुलाई से प्रभावी होगीं।
2. प्रबंधीकरण को विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।
3. विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
4. बेसिक शिक्षा परिषद् अधिनियम तथा इस नियमावली के उपबन्धों का तथा परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन संस्थाधिकारियों को करना होगा।
5. विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे वहीं वेतनमान, मँहगाई भत्ता दिया जायेगा जो परिषद के समान अर्हत वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को प्राप्त हो रहे होंगे वेतन का भुगतान चैक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों के अन्तरण के द्वारा किया जायेगा।
6. विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा।
7. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
8. विभागीय नियमों/आदेशों के अवहेलना करने पर तथा किसी तथ्यों को छुपाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
9. यदि विद्यालय विभाग द्वारा निर्धारित मान्यता की समस्त शर्तों को पूर्ण नहीं करता है तो मान्यता का प्रत्याहरण का अधिकार विभाग एवं सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
10. सभी शिक्षक प्रशिक्षित रखने होंगे। आदेशों की अवहेलना पर विधिक कार्यवाही होगी।
11. उपरोक्त प्रतिबन्धों को मानना बाध्यकारी होगा।

शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार एवं मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार विद्यालय में निम्न विवरण के अनुसार शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद सृजित माने जायेगें।

1.	प्रधानाध्यापक	एक
2.	सहायक अध्यापक	चार
3.	लिपिक	एक
4.	चतुर्थ श्रेणी	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट/विज्ञान अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे।

नोट- विद्यालय भवन में कक्षा कक्ष निर्धारित माप से छोटा होने के कारण कक्षा को 22 छात्र से निर्धारित की जाती है।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 20/2/09
(सतेन्द कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठाकंन संख्या/लेखा/ 2008-09 दिनांक उक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा।
3. जिला समाज कल्याण/अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग अधिकारी, आगरा।
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आगरा।

Manager
Glorious Public School
Guru Ram Das Nagar
Kakretha, AGRA

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा

आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(13) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया मान्यता के उक्त नियमों/शर्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए मान्यता प्रदान किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
25.5.13
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3-अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4-सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5-समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

MANAGER
Glorious Public School
Guru Ram Das Nagar,
Kakretha, AGRA

GORP

16